न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :— श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 — 178 / 2020(2020 / 00225)

अनवान : —

1. रोहताश पुत्र दलसिंह जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा।
2. कुलदीप पुत्र दलसिंह जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा।

वादीगण

बनाम

1. दलसिंह पुत्र जागर जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा।
2. प्रेमदेवी पुत्री दलसिंह जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा।
3. बिमला देवी पुत्री दलसिंह जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा।
4. सीमा पुत्री दलसिंह जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा।
5. कमला देवी पुत्री दलसिंह जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा।
6. मीनूदेवी पुत्री दलसिंह जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा।
7. ~~रोहताश पुत्र हेमराज जाति जाट निवासी बिराण तहसील भादरा~~।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :— श्री कपूरचन्द शर्मा वादीगण
श्री सुरेन्द्र बैनीवाल प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक: 27/01/2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 7 एमआरएन के वर्तमान खाता संख्या 17 / 17 के मुरब्बा न0 12 के किला न0 1, 2, 9 ता 12, 19, 20, मुरब्बा न0 13 के किला न0 1 ता 4, 5 / 2, 6 / 2, 7 / 2, 8 ता 13, 14 / 1, 15, 16, 17 / 2, 18 ता 20, मुरब्बा न0 14 के किला न0 1 ता 24, मुरब्बा न0 15 के किला न0 6 ता 9, 12 ता 19, 22 ता 25, मुरब्बा न0 24 के किला न0 2 ता 9, 12 ता 15, मुरब्बा न0 25 के किला न0 1 ता 4, 7 ता 14 इस प्रकार कुल 22.872 हैक्टेयर व चक 8 एमआरएन के खााता संख्या 10 / 10 के मुरब्बा न0 40 के किला न0 16, 17 / 2, 24 / 1, 25, मुरब्बा न0 41 के किला न0 18 ता 23, मुरब्बा न0 67 के किला न0 11 / 2, 19, 20 / 2, 21, 22 इस प्रकार कुल 3.3790 हैक्टेयर कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 दलसिंह के नाम 1 / 3 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.10.20 17:30:03 IST
Reason: SelfAttested

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम व हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वाद भूमि पहले वादी के दादा जागर की खातेदारी हुआ करती थी। जागर से विरासतन वादभूमि जो प्रतिवादी दलसिंह ने कर्ता खानदान होने

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी दलसिंह ने अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक व अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी दलसिंह के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 दलसिंह को वादी के दादा जागर से विरासतन प्राप्त हुई है। जमाबन्दी भूमि एकीकरण चक 7 एमआरएन सम्वत 2016 के खाता संख्या 11 एवं जमाबन्दी भूमि एकीकरण चक 8 एमआरएन सम्वत 2016 खाता संख्या 18 से साफ रोशन है इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादी का जन्म से हक व हिस्सा निहित है।

उक्त वाद भूमि बाबत सभी पक्षकारानों में पारिवारिक समझौता किया हुआ है। प्रतिवादिया संख्या 2 ता 6 वादी की बहिनें है, जिन्होंने अपना हक व हिस्सा की भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक में हिस्सा बराबर तर्क कर शून्य कर लिया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 ता 6 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादी में वादी रोहताश पुत्र दलसिंह जाति जाट निवासी महराना तहसरील भादरा के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में जमाबन्दी चक 7 एमआरएन सम्वत 2073–76 खाता संख्या 17/17 प्रदर्श 1, जमाबन्दी चक 8 एमआरएन सम्वत 2074–77 खाता संख्या 10/10 प्रदर्श 2, सरपंच ग्राम पंचायत महराना का सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 3, जमाबन्दी खतौनी चक 8 एमआरएन सम्वत 2016 खाता संख्या 18 प्रदर्श 4, चक 7 एमआरएन सम्वत 2016 खाता संख्या 11 प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवायें।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादी ने रोही मौजा चक 7 एमआरएन के वर्तमान खाता संख्या 17/17 के मुरब्बा न0 12 के किला न0 1, 2, 9 ता 12, 19, 20, मुरब्बा न0 13 के किला न0 1 ता 4, 5/2, 6/2, 7/2, 8 ता 13, 14/1, 15, 16, 17/2, 18 ता 20, मुरब्बा न0 14 के किला न0 1 ता 24, मुरब्बा न0 15 के किला न0 6 ता 9, 12 ता 19, 22 ता 25, मुरब्बा न0 24 के किला न0 2 ता 9, 12 ता 15, मुरब्बा न0 25 के किला न0 1 ता 4, 7 ता 14 इस प्रकार कुल [illegible] हैक्टेयर व चक 8 एमआरएन के खााता संख्या 10/10 के मुरब्बा न0 40 के किला न0 16, 17/2, 24/1, 25, मुरब्बा न0 41 के किला न0 18 ता 23, मुरब्बा न0 67 के किला न0 11/2, 19, 20/2, 21, 22 इस प्रकार कुल 3.3790 हैक्टेयर कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 दलसिंह के नाम 1/3 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें वाद भूमि

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.10.20 17:30:03 IST
Reason: SelfAttested

दादालाई कृषि भूमि होना साबित है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी सं 1 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। जिसे राजीनामा में स्वीकार किया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 7 एमआरएन के वर्तमान खाता संख्या 17/17 के मुरब्बा न0 12 के किला न0 1, 2, 9 ता 12, 19, 20, मुरब्बा न0 13 के किला न0 1 ता 4, 5/2, 6/2, 7/2, 8 ता 13, 14/1, 15, 16, 17/2, 18 ता 20, मुरब्बा न0 14 के किला न0 1 ता 24, मुरब्बा न0 15 के किला न0 6 ता 9, 12 ता 19, 22 ता 25, मुरब्बा न0 24 के किला न0 2 ता 9, 12 ता 15, मुरब्बा न0 25 के किला न0 1 ता 4, 7 ता 14 इस प्रकार कुल 22.872 हैक्टेयर व चक 8 एमआरएन के खााता संख्या 10/10 के मुरब्बा न0 40 के किला न0 16, 17/2, 24/1, 25, मुरब्बा न0 41 के किला न0 18 ता 23, मुरब्बा न0 67 के किला न0 11/2, 19, 20/2, 21, 22 इस प्रकार कुल 3.3790 हैक्टेयर कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 दलसिंह के नाम 1/3 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। **उसमें वादी संख्या 1 रोहताश, वादी संख्या 2 कुलदीप व प्रतिवादी संख्या 1 दलसिंह को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के द्वारा त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27/01/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.10.20 17:30:03 IST
Reason: SelfAttested

(जयसिंह)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़